



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन नं.  
प्रमाणपत्र नं.

मुरादाबाद  
मुरादाबाद  
201350030064221  
042203019270

जारी दिनांक: 30/11/2020

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
गाम  
तहसील  
जिला

Alimna Iqbal  
Shri Iqbal Hussain  
Shrimati Shabana Parveen  
00,Daulat Bagh Gali No 10

मुरादाबाद  
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (अमार) जाति के अस्ति है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुमूलिक जातियों, अनुमूलिक जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरब्धण अधिनियम १९५५ की अनुमूलीय एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि Alimna Iqbal पूर्वोक्त अधिनियम १९५५ (यथा संशोधित) की अनुमूलीय २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुमूलिक जातियों, अनुमूलिक जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरब्धण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है एवं जो उ०प० लोक सेवा अनुमूलिक जातियों, अनुमूलिक जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरब्धण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 दी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, मे आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीस वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहिप छुट भीमा मे अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN  
TEWATIA

Digital Signature by NITIN  
TEWATIA  
O-U.P.GOVERNMENT,  
O-U-REVENUE,  
CIN.CN-NITIN  
TEWATIA, S-UTTAR  
PRADESH

संघर्ष अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 30/11/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विविरी लिप्तम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिस्ट्रिक्ट निवेदित संस्थानांतरि है। एवम् जावेज द्वारा स्वयं की तीर्त इन आदर्दी के माध्यम से दाउनलोड किया जाता है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर जावेज नं. ०० किए उपरान्त नं. ०० अंकित कर संतर्घित किया जा सकता है।